रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266252
SG-DL-E-19092025-266252

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 220
No. 273] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947 [N. C. T. D. No. 220

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

फा0सं0 82/1167/उच्च सहायता की आवश्यकताओं हेतु योजना/एडी–III/डीएसडब्ल्यू/2017/1301–1313.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 12 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या एसओ 3870 (ई) के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 24 उप–धारा 1, 3 (प) तथा धारा 38 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए देखभालकर्ता सहायता और अन्य सहायता हेतु उपयोग किए जाने वाले भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना अर्थात् "उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु वित्तीय सहायता योजना" को बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं विस्तार :**

I. इस योजना को "उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु वित्तीय सहायता योजना" कहा जाएगा।

II. यह योजना सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक विस्तारित होगी।

III. यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु लागू होगी।

2. प्रारंभ :

I. यह योजना दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

3. लक्ष्य एवं उद्देश्य :

I. इस योजना का उद्देश्य उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस भत्ते का उद्देश्य लाभार्थियों को देखभालकर्ता सहायता या अन्य आवश्यक सेवाओं, जैसे मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा उपचार, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, सहायक तकनीक एवं उपकरण या उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए आवश्यक किसी भी अन्य प्रकार की सहायता से संबंधित खर्चों को पूर्ण करने में मदद करना है।

4. परिभाषाएँ :

इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

क) ***"अधिनियम"*** का अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 से है।

ख) ***"वित्तीय सहायता"*** का अभिप्राय इस योजना में यथा विनिर्धारित उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों की मृत्यु तक आवर्ती वित्तीय सहायता से है।

ग) ***"आवेदक"*** का अभिप्राय उस 'दिव्यांगजन व्यक्ति', जिसने इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है या उसके माता–पिता, या कानूनी अभिभावक या पति/पत्नी या व्यक्ति के वयस्क बच्चे से है;

घ) ***"परिवार"*** का अभिप्राय माता–पिता या यदि माता–पिता जीवित नहीं हैं, तो नाबालिग, अविवाहित, बेरोजगार दिव्यांगजन (दिव्यांगजनों) व्यक्ति के मामले में कानूनी अभिभावक से है। विवाहित दिव्यांगजनों के मामले में, इसका अभिप्राय पत्नी/पति और नाबालिग या दिव्यांग वयस्क बच्चे का उस पर पूर्णतः आश्रित होने से है।

ड.) ***"देखभालकर्ता"*** का अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति से है जो भुगतान सहित या बिना भुगतान के दिव्यांगजनों को देखभाल, समर्थन या सहायता उपलब्ध कराता है।

च) ***"दिव्यांगजन"*** से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी असमर्थता है, जो बाधाओं के कारण दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी का अवरुद्ध करती है;

छ) ***"विनिर्दिष्ट दिव्यांगता"*** का अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से है।

ज) ***"बेंचमार्क दिव्यांगजन"*** का अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से कम नहीं वाले व्यक्ति से है (जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य परिभाषिक शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगजन व्यक्ति शामिल है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य परिभाषिक शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है);

झ) ***"उच्च सहायता"*** का अभिप्राय है गहन समर्थन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अन्यथा, जो दैनिक गतिविधियों के लिए बेंचमार्क दिव्यांगजनों द्वारा आवश्यक हो सकता है, ताकि सुविधाओं तक पहुंचने और शिक्षा, रोजगार, परिवार और सामुदायिक जीवन तथा उपचार और चिकित्सा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र और सूचित निर्णय लिया जा सके, जैसा कि 'दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट है;

ञ) ***"उच्च सहायता की आवश्यकताओ वाले दिव्यांगजन"*** का अभिप्राय है धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगजन से है जिसे दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता है;

ट) ***"आवेदन पत्र"*** का अभिप्राय इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र से है।

ठ) ***"आकलन बोर्ड"*** का अभिप्राय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आवेदक की उच्च सहायता की आवश्यकताओं के आकलन हेतु आकलन बोर्ड से है।

ड) ***"स्वीकृति प्राधिकारी"*** का अभिप्राय अनुच्छेद 7 के अंतर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है;

ढ) **"अपीलीय प्राधिकारी"** का अभिप्राय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आवेदक की शिकायतों के अंतिम निवारण हेतु प्राधिकारी से है;

5. पात्रता मानदंडः

इस योजना के अंतर्गत सहायता का लाभ उठाने के लिए उच्च सहायता की आवश्यकता वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन हेतु पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

क) दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी से दिव्यांगता का स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए;

ख) कम से कम पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए;

ग) आकलन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कोर 60 से 100 होना चाहिए;

घ) वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए;

ड.) आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए;

च) आधार कार्ड होना चाहिए जो दर्शाता हो कि व्यक्ति दिल्ली का निवासी है।

6. आवश्यक दस्तावेज़ः

(क) **निवास प्रमाण,** जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 वर्षों के निवास को दर्शाता हो। आवेदक (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है) के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक निवास प्रमाण के रूप में केवल प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. राशन कार्ड
2. मतदाता पहचान पत्र
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. एमसीडी/पंजीयक– जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
6. बिजली बिल
7. पानी का बिल
8. टेलीफोन बिल
9. गैस कनेक्शन रसीद
10. बैंक/डाकघर पासबुक
11. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
12. संपत्ति दस्तावेज़– पंजीकृत बिक्री विलेख/किराया अनुबंध
13. यदि आवेदक के पास निवास प्रमाण के संबंध में 'कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य' उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को किसी राजपत्रित अधिकारी का बयान प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के दिल्ली में रहने की अवधि का विवरण हो। केंद्र/दिल्ली सरकार के राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक पहचान पत्र और संपर्क विवरण की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) आवेदक द्वारा प्रतिवर्ष अपने परिवार की आय के संबंध में स्व–घोषणा करनी होगी।

ग) आवेदक के पास पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित किसी भी बैंक में खाता (एकल/संयुक्त) होना चाहिए।

घ.) आवेदक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो।

7. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

क) योजना के अंतर्गत आवेदन ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) डीएसडब्ल्यूओ द्वारा आकलन बोर्ड को संदर्भित करने की प्रक्रिया ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी, जांच के बाद, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 38(2) के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन को जिला स्तर पर आकलन बोर्ड को अग्रेषित/संदर्भित करेंगे। यह कार्य पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर किया जाएगा।

ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार की दिनांक 01/10/2019 `की अधिसूचना संख्या 24/विविध नीति/दिव्यांगता/डीएचएस/एनएचसी/भाग–प्प्(क)/सीडी संख्या 000551595/1–12 के द्वारा गठित आकलन बोर्ड, जिला समाज कल्याण अधिकारी से आकलन हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर अपनी जाँच पूरी करेगा। आकलन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

घ) आकलन बोर्ड द्वारा आकलन रिपोर्ट ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। संबंधित आकलन बोर्ड द्वारा जांच और लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आकलन रिपोर्ट का रिकॉर्ड हार्ड कॉपी में भी रखा जाएगा।

8. स्वीकृति प्राधिकारी : –

योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राधिकारी संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी होगा। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वीकृति जारी की जाएगी।

9. सहायता वितरण का तरीकाः –

भुगतान का वितरण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के आधार भुगतान सेतु प्रणाली (एपीबीएस) के माध्यम से किया जाएगा।

10. सहायता की मात्रा : –

योजना के प्रावधानों के अंतर्गत, उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन स्वीकृति के माह से 6000 रुपये प्रति माह की राशि प्राप्त करने का पात्र होगा। यह राशि विभाग द्वारा "विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता" योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मासिक आधार पर दी जाने वाली राशि, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी।

11. कार्यान्वयन प्राधिकारी : –

यह योजना जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

क) भत्तों का वितरण जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति/लाभार्थी के विवरण में किसी भी प्रकार के सुधार करने का दायित्व संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

ख) लाभार्थी के निवास स्थान के जिले में परिवर्तन होने की स्थिति में, जिले में परिवर्तन स्वीकृत करने वाले जिले से आरंभ किया जाएगा। मामला स्थानांतरित होने के बाद, आगामी समस्त कार्रवाईयों का दायित्व संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

12. सहायता रोकना :

क) यदि उच्च सहायता आवश्यकता वाले व्यक्ति/देखभालकर्ता को असत्य कथन देकर भत्ता प्राप्त करते हुए पाया जाता है, तो भत्ता तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान की गई राशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विवेक पर वसूल की जाएगी और यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

ख) इसके अतिरिक्त, यदि किसी उच्च सहायता आवश्यकता वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो देखभाल करने वालों/परिवार की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे घटना के एक माह के भीतर विभाग को इसकी सूचना दें। यदि यह पाया जाता है कि परिवार/ देखभालकर्ता अभी भी भत्ता ले रहे हैं, तो भुगतान की गई भत्ते की राशि, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विवेक पर वसूल की जाएगी और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 91 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगी ।

ग) तथापि, उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, भले ही भत्ता उसके जीवित रहने की अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से भुगतान किया जाना हो, यह उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति के परिवार/नामित व्यक्ति को दिया जाएगा।

घ) स्वीकृति प्राधिकारी को सहायता का भुगतान रोकने का अधिकार होगा, यदि किसी भी स्तर पर जिन शर्तों के लिए सहायता प्रदान की गई थी, यदि वे अब विद्यमान नहीं हैं तो उस व्यक्ति से उचित वसूली की जाएगी।

13. अपीलीय प्राधिकारी : –

किसी भी शिकायत की स्थिति में, आवेदक अपनी शिकायत के निवारण हेतु निदेशक, समाज कल्याण से अपील कर सकता है। निदेशक, समाज कल्याण का निर्णय अंतिम होगा।

14. विविध : –

क) वित्तीय सहायता की मात्रा तथा योजना के अन्य प्रावधानों की समीक्षा तीन वर्ष बाद की जा सकती है।

ख) इस योजना के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की निम्नलिखित योजनाओं – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) और समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता – में सहायता प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे मानदंडों को पूरा करते हों। इसके अतिरिक्त, इस योजना के लाभार्थियों को भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की किसी भी मासिक वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित किया जाएगा।

ग) लाभार्थियों से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लिया जाएगा। यह प्रक्रिया विभाग के जिला कार्यालयों के कर्मचारियों/स्टाफ द्वारा या विभाग द्वारा अपनाए गए किसी अन्य माध्यम से लाभार्थी के घर जाकर संचालित की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. रश्मि सिंह, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 15th September, 2025

F.82/1167/Scheme for High Support Needs/AD-III/DSW/2017/1301-1313.—In exercise of the powers conferred under Sub-Sections (1) and (3) (i) of Section 24 read with Section 38 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, read with S.O. No. 3870 (E.) dated 12th December, 2017 of Ministry of Home Affairs, Government of India, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to notify the following scheme, titled "Financial Assistance Scheme for Persons with Benchmark Disabilities having High Support Needs" to provide financial assistance in the form of an allowance to Persons with Benchmark Disabilities requiring high support, for the purpose of caregiver support and other necessary assistance, as under:-

1. **SHORT TITLE AND EXTENT:**

I. The scheme shall be called as **"Financial Assistance Scheme for Persons with Benchmark Disabilities having High Support Needs"**.

II. The Scheme shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

III. The scheme shall be applicable for the Persons with Benchmark Disabilities having High Support Needs of NCT of Delhi.

2. **COMMENCEMENT:**

I. The Scheme shall come into force with effect from the date of its publication in Delhi Gazette.

3. AIMS & OBJECTIVES:

I. The scheme aims to provide financial assistance to Persons with Benchmark Disabilities who are having High Support Needs. The allowance is intended to help beneficiaries meet expenses related to caregiver support or other essential services, including psychological counselling, medical

treatment, occupational therapy, speech therapy, physiotherapy, assistive aids and appliances, or any other form of support necessary for their well-being and rehabilitation.

4. DEFINITIONS:

In this scheme unless the context otherwise requires:

a) **"Act"** means the 'Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016

b) **"Financial Assistance"** means recurring financial aid till the demise of the Person with Disabilities having High Support Needs as prescribed in this scheme.

c) **"Applicant"** means a 'Person with Disabilities', who has applied for the financial assistance under this scheme or his/her parent(s), or the legal guardian or spouse or an adult child of the person;

d) **"Family"** means parents or if the parent(s) are not alive then legal guardian in case of the minor, unmarried, unemployed person with disabilities (s). In case of married persons with disabilities, it means wife/ husband and minor or disabled adult children solely dependent on him/her.

e) **"care-giver"** means any person including parents and other family Members who with or without payment provides care, support or assistance to a person with disability as specified in 'Rights of Persons with Disabilities Act (RPwD), 2016

f) **"person with disability"** means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others;

g) **"specified disability"** means the disabilities as specified in the Schedule of 'Rights of Persons with Disabilities Act (RPwD), 2016

h) **"person with benchmark disability"** means a person with not less than forty per cent of a specified disability as per Rights of Persons with Disabilities Act (RPwD), 2016 (where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority);

i) **"high support"** means an intensive support, physical, psychological and otherwise, which may be required by a person with benchmark disability for daily activities, to take independent and informed decision to access facilities and participating in all areas of life including education, employment, family and community life and treatment and therapy as specified in 'Rights of Persons with Disabilities Act (RPwD), 2016;

j) **"person with disability having high support needs"** means a person with benchmark disability certified under clause (a) of sub-section (2) of section 58 who needs high support as per Rights of Persons with Disabilities Act (RPwD), 2016;

k) **"Application form"** means form prescribed under this scheme.

l) **"Assessment Board"** means Assessment Board for assessment of applicant's high support need requirements as notified by the Department of Health & Family Welfare, GNCTD

m) **"Sanctioning Authority"** means the authority competent to sanction the financial assistance under paragraph 7;

n) **"Appellate Authority"** means the Authority for final redressal of grievances of applicant under paragraph 12;

5. **ELIGIBILITY NORMS:**

The Eligibility Norms for Person with Benchmark Disability having High Support Needs for availing assistance under the scheme shall be as given below:

a) Should possess a permanent certificate of disability from a notified authority as a Person with Benchmark disability as per provisions of Right of Persons with Disabilities Act (RPwD), 2016;

b) A resident of Delhi for at least five years;

c) Should be having a score of 60 to 100 as assessed by the Assessment Board;

d) Annual family income should not be more than one lakh;

e) Applicant should not be a government employee;

f) Having Aadhar card showing the person to be a resident of Delhi.

6. Documents Required:

a). Proof of residence, *which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi. Any one of the following documents of applicant (as defined above) only may be submitted for residence proof-*

1. Ration card
2. Voter card
3. Passport
4. Driving license
5. Birth certificate issued by MCD/ Registrar- Births & Deaths.
6. Electricity Bill
7. Water Bill
8. Telephone bill
9. Gas connection receipt
10. Bank/ Post office passbook
11. Caste certificate issued in Delhi
12. Property document- Registered Sale Deed/ Rent Agreement
13. In case 'No Documentary Evidence' is available with the applicant with regard to proof of residence-the applicant will need to produce statements of any Gazetted Officer, stating the period of applicant's length of stay in Delhi. The Gazetted Officer of the Central / Delhi Govt. has to furnish a self-attested copy of official ID and contact details.

b). *A self-declaration by the applicant regarding his/her family income per year.*

c). *The Applicant should have a bank account (Single/ Joint) in any Bank operational in NCT of Delhi for receiving the payment through PFMS.*

d.) *One passport size photo of the applicant*

7. **PROCEDURE FOR AVAILING ASSISTANCE**: –

a) Application shall be submitted online on the e-district portal to the District Social Welfare Office of concerned District under the scheme.

b) The process of referring to the assessment board by the DSWO shall be through the e-district portal. The District Social Welfare Officer, after scrutiny shall forward/ refer the application to the Assessment Board at the District level as per provisions of Section 38 (2) of the RPwD Act 2016. The same shall be done within a period of 10 days of receipt of the application on the portal.

c) The Assessment Board constituted by the Department of Health and Family Welfare, GNCTD vide Notification No. 24/Misc. Policy/Disab./DHS/NHC/Part-III(A)/ CD No. 000551595/ 1-12 dated 01/10/2019 shall complete its enquiry within a period of 90 days from the date of receiving request for assessment from the District Social Welfare officer. The decision of the Assessment Board shall be final.

d) The assessment report will be uploaded on the e-district portal by the Assessment Board. Records of the assessment reports shall also be maintained in hard copy by the respective assessment boards for scrutiny and audit purposes.

8. **SANCTIONING AUTHORITY: -**

The Sanctioning Authority under the scheme shall be the concerned District Social Welfare Officer. Sanction shall be issued within a period of 15 days of receiving the assessment report on the e-district portal.

9. **MODE OF DISBURSAL OF ASSISTANCE: -**

The payment shall be disbursed through Aadhaar Payment Bridge System (APBS) of Public Financial Management System (PFMS).

10. **QUANTUM OF ASSISTANCE: -**

Subject to the fulfilment of the provisions of the scheme any Person with Benchmark Disability having High Support Needs would be entitled for an amount of Rs. 6000/- per month from the month of sanction. This amount will be in addition to the amount being given on monthly basis to the beneficiary, if any, under the "Financial Assistance for Persons with Special Needs" scheme by the Department.

11. **IMPLEMENTING AUTHORITY:** -

The Scheme shall be implemented at the district level by the District Social Welfare Officer.

a) Disbursal of allowances will be done by District Social Welfare Officer including that of any corrections in the details of the high support needs person/beneficiary will be the responsibility of the concerned District Social Welfare Officer.
b) In case of change of district of residence of the beneficiary, the change in district will be initiated from the sanctioning district. Once the case is transferred, all further actions will be the responsibility of the relevant District Social Welfare Officer thereafter.

12. **STOPPAGE OF ASSISTANCE:**

a) If a High Support Needs Person/caregiver is found to have availed the allowance by false statements, the allowance will be cancelled forthwith and the amount of allowance paid will be recovered, at the discretion of the District Social Welfare Officer, Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi and shall be punishable under the provisions of section 91 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016.
b) Further, if a High Support Needs Person is deceased, it would be the responsibility of the caregivers/ family to inform the Department about the same within one month of the event. If it is found that the family/ caregivers continues to avail the allowance, the amount of allowance paid will be recovered, at the discretion of the Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi and shall be punishable under the provisions of section 91 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016.
c) However, in the event of demise of the high support needs person, even if the allowance is to be paid retrospectively for the period he/she was alive, it will be given to the family/ nominee of the high support needs person.
d) The Sanctioning Authority shall have the right to stop payment of assistance, if at any stage, the conditions for which the assistance was granted, no longer exist and appropriate recoveries from the person will be made

13. **APPELLATE AUTHORITY:** -

In case of any grievance, the applicant may appeal to the Director, Social Welfare for redressal of his/her grievance in this regard. The decision of the Director, Social Welfare shall be final.

14. **MISCELLANEOUS: -**

a) The quantum of financial assistance, as also the other provisions of the scheme may be reviewed after

three years.

b) The beneficiaries of the Scheme shall not be debarred from seeking assistance in the following schemes of financial assistance – National Family Benefit Scheme (NFBS) and Financial Assistance to Persons with special needs by Department of Social Welfare, GNCTD provided they fulfil the norms. Further, the beneficiaries of this scheme shall be debarred from availing benefits under any monthly financial assistance scheme of either the Govt. of India or Govt. of NCT of Delhi.

c) Annual life certificate shall be taken from the beneficiaries. This exercise will be conducted by the employees/ staff of the District Offices of the Department or through any other means adopted by the Department by home visits of the beneficiary.

By Order And In The Name Of Lieutenant Governor
Of National Capital Territory Of Delhi,
Dr. RASHMI SINGH, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.19 15:17:51 +05'30'